

Public Trusts

Particulars
documents cre
ing the trust

6

प्रकरण क्रमांक 03 व-113/2/2 का 2001-2002 में भारत
आदेश दिनांक 03/9/2002 ग्राम - धाढागाँव प. ह. नं. 105
तहसील- रायपुर.

उपरोक्त प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक अनुसार निम्न लिखित
शर्तों पर ट्रस्ट की भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किया गया:-
1. प्रस्तावित उपरोक्त भूमि का विक्रय वर्तमान गाड़ लाइन,
बिछी छोट, बाजार मूल्य में से जो राशि अधिक होगी उससे
अधिक दर पर भूमि का विक्रय की जावे। भूमि विक्रय के पूर्व
स्थानीय दो समाचार पत्र में झूतहार दिया जावे.

2. नव निर्माण कार्य में कितनी राशि लगेगा इसका मूल्यांकन
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट से कराया जावे तदनुसार
आर्किटेक्ट द्वारा मूल्यांकित राशि ही व्यय किया जावेगा.

3. विक्रय से प्राप्त राशि न्यास के महंत एवं पंजीयक लोकन्यास
रायपुर के संयुक्त छाता बैंक में डालकर जमा किया जावेगा तथा
स्टीमेट के अनुसार किराँतों में राशि का आहरण कर चार्ज किया
जावेगा.

4. निर्माण कार्य के लिये शासन के संबंधित विभागों से एन.ओ.
सी. प्राप्त करना होगा. तथा छोटी के लिये उपकरण हारीदी,
शासकीय संस्थान अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से
की जावेगी. इसी प्रकार नलकू का डानन शासन के अधिन किसी
संस्थान या शासन से मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्थान से कराया
जावेगा.

5. विक्रय से पूर्व उक्त भूमि पर शासकीय देय, लगान, तथा
बैंक कृपा आदि जमा किया जावेगा.

6. बिछी उपरांत बिछी पत्र की प्रति पंजीयक सार्वजनिक न्यास को
न्यास पंजी में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया जावेगा साथ ही उक्त,
न्यास में संघारित संपत्ति पंजी में ट्रस्ट प्रविष्टि करेगा.

7. रजिस्ट्री के समय उप पंजीयक रायपुर के समझ बैनामा -
निकादन के समय न्यास इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत
करेगा.

उपरोक्त शर्तों के तहत ग्राम धाढागाँव प. ह. नं. 105 रा.
नि. मं. रायपुर स्थित न्यास की भूमि कासरा क्रमांक 1232 रकबा
0. 664 हेक्टर की विक्रय अनुमति सर्वराकार-महंत-मैनेजिंग ट्रस्टी श्री
रामसुन्दरदास गुरु स्व. श्री महंत केणाबदास निवासी दुधाधारी
मठ रायपुर को दिया- गया है.

श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर
दूरी हटरीपरांनीबस्ती
रायपुर.

सार्वजनिक न्यास;
रायपुर. ()

220 120
7/1953/3
0955